न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 521/2025

श्रीमती हाजरा बानो पत्नि अब्दुल शकूर, जाति मुसलमान, निवासी बडी मस्जिद् के पास, वार्ड नं01 पुराना 13, नया 27, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं पिन कोड 333024, मो0न0 9785119602

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

—

आदेश

दिनांक 22.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 521/2025 पर दिनांक 01.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/ 5217—5218 दिनांक 01.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/1594 दिनांक 22.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्रीमती हाजरा बानो पत्नि अब्दुल शकूर, जाति मुसलमान, निवासी बडी मस्जिद् के पास, वार्ड 27, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं ने दिनांक 09.10.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सरोज देवी पत्नि बाबूलाल वर्मा, वार्ड पार्षद नवलगढ के सन्तान संबंधित शिकायत की जांच की सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 37(7)(8) विविध/चुनाव/2011/998 दिनांक 10.11.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना लगभग 70 पृष्ठ मे जिसके प्रति पृष्ठ 2 रूपये के हिसाब से कुल 140 रूपये राजकोष मे जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/ 2025/1594 दिनांक 22.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्रीमती हाजरा बानो पत्नि अब्दुल शकूर, जाति मुसलमान, निवासी बडी मस्जिद् के पास, वार्ड 27, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं ने दिनांक 09.10.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सरोज देवी पत्नि बाबूलाल वर्मा, वार्ड पार्षद नवलगढ के सन्तान संबंधित शिकायत की जांच की सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 37(7)(8) विविध/चुनाव/2011/998 दिनांक 10.11.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना लगभग 70 पृष्ठ मे जिसके प्रति पृष्ठ 2 रूपये के हिसाब से कुल 140 रूपये राजकोष मे जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सबंध मे शुल्क राशि जमा नही करवाई गई है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं